

4

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०-2/एल-35/2022-

/स्वा०, पटना, दिनांक: / / 2025

डा० प्राची, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, सदर प्रखंड, बेगूसराय सम्प्रति सदर अस्पताल, बेगूसराय के द्वारा प्रथम संतान के प्रसव हेतु उपभोगित अवकाश अवधि दिनांक 19.06.2021 से 08.12.2021 तक कुल 173(एक सौ तिहत्तर) दिन को वित्त विभाग के पत्रांक-9889, दिनांक 01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/
(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी

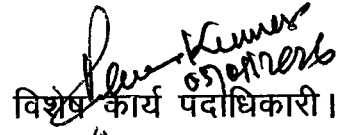
ज्ञापांक-2/एल-35/2022-

22(2) पटना, दिनांक 07/01/2025

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बेगूसराय/कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, बेगूसराय/डा० प्राची, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, सदर प्रखंड, बेगूसराय सम्प्रति सदर अस्पताल, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9बी, 17 एवं 18ए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।